राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: F.3(12) Store/SEC/2020/ 6662 | दिनांक : 31/08/2020

बोली सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के उपयोगार्थ निम्नांकित विवरणानुसार कम्प्यूटर संबंधी उपकरणों के क्रय हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत निर्माताओं/फर्मों/अधिकृत विक्रेताओं/डीलरों से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं:–

क्र. सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति	बोली प्रपत्र शुल्क
1	Integrated sheet feed & Flate bed (Scanner) (Specification as per Annexure-F)	02 नग	5.00 लाख	5000	200
2	Monocrome Laser jet with Duplex Printing (Printer) (Specification as per Annexure-F)	02 नग			
3	SAS Hot Swap HDD. 15 KBPS or Higher for CISCO Server (Specification as per Annexure-F)	12 नग			

बोली प्रपत्र जारी करने की दिनांक एवं समय	31.08.2020 प्रातः 11:00 बजे से
बोली प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	10.09.2020 दोपहर 2:00 बजे तक
बोली जमा कराने की अन्तिम दिनांक एवं समय	10.09.2020 सांय 5:00 बजे तक
तकनीकी बोली खोलने की दिनांक एवं समय	11.09.2020 दोपहर 2:30 बजे

1. बोली प्रपत्र राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के कक्ष सं. 210 से दिनांक 10.09.2020 दोपहर 2:00 बजे तक निर्धारित शुल्क रू. 200/– जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस आयोग की वेबसाईट secraj@rajasthan.gov.in एवं स्टेट पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता हैं। वेबसाईट एवं स्टेट पोर्टल से डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र का शुल्क बोली के साथ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर के नाम देय डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जमा कराना आवश्यक है।
2. वित्तीय मूल्यांकन (Financial evaluation) के लिए सभी तरह से समस्त लागत (Total overall cost) के आधार पर विचार किया जायेगा। जिसमें सभी तरह के अन्य शुल्क (Other taxes and duties, Installation, Freight, Insurance & Delivery Charges) शामिल होंगे, परन्तु वस्तु एवं सेवा कर (GST) को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। दरें FOR Destination प्रस्तुत करनी होंगी।
3. दो या अधिक बोलीदाताओं की दरों में बराबरी (Tie in prices) की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ऐसे बोलीदाताओं से वार्ता (Negotiatiion) कर अन्तिम निर्णय लेगा।
4. बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के मूल डी.डी./बैंकर चैक जो सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के नाम देय हो, जमा कराना आवश्यक हैं। बोली प्रतिभूति के बिना जमा कराई गई बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. प्रदत्त दरें बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेंगी। यदि बोलीदाता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है तो उसकी बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।

6. तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैंः–

   i बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के बैंकर्स चैक/डी.डी.
   ii हस्ताक्षरयुक्त बोली फार्म एवं बोली प्रपत्र
   iii हस्ताक्षरयुक्त बोली शर्तें
   iv फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीएसटी पंजीयन (GSTIN) के प्रमाण पत्र की प्रति
   v अधिकृत विक्रेता/डीलर के प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट छायाप्रति
   vi आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN Card) की प्रति
   vii फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड या पावर ऑफ एटोर्नी की प्रति
   viii गत 3 वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) में से किन्हीं 2 वर्षों के टर्नओवर का सनदी लेखाकार से जारी किया गया प्रमाण पत्र जो रू. 20.00 लाख प्रतिवर्ष से कम न हो।
   ix बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र (Annexure-E)
   x क्वालिटी एस्योरेंस सर्टिफिकेट/ISO आदि प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो)
   xi जीएसटी रिटर्न की नवीनतम स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

7. स्थापना व्यय (Installation Charges) एवं अन्य प्रभार (यदि कोई हो) का पृथक से भुगतान देय नहीं होगा।

8. न्यूनतम दरों का विनिश्चयन प्रत्येक आईटम के लिए पृथक–पृथक होगा।

9. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेजों में कोई अन्य त्रुटि पाये जाने पर बोली को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

10. भरी हुई बोली दिनांक 10.09.2020 सायं 5.00 बजे तक राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के कक्ष संख्या 209 में जमा करवाई जा सकती है। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियों की तकनीकी बोली को दिनांक 11.09.2020 को दोपहर 2:30 बजे उपापन/क्रय समिति के द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जो बोली खोलते समय उपस्थित रहना चाहें के समक्ष खोला जायेगा।

12. जो बोलीदाता तकनीकी बोली में सफल पाये जायेंगे उन्ही बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जायेंगी, जिसका दिनांक व समय पृथक से सूचित किया जायेगा।

13. किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का समस्त अधिकार सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को होगा।

27/8

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

<u>तकनीकी बोली प्रपत्र</u>

<u>राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर में कम्प्यूटर संबंधी उपकरणों की आपूर्ति हेतु तकनीकी प्रस्ताव</u>

1. बोली प्रस्तुत करने वाले निर्माता/फर्म/अधिकृत विक्रेता/डीलर का नाम :
....
2. स्थाई पता : ....
....
....
3. पत्र व्यवहार का पता : ....
....
....
4. टेलीफोन नं. .... मोबाइल एवं फैक्स नं. ....
5. ई–मेल : ....
6. बोली जिसको प्रस्तुत करनी हैः– **सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर**
7. बोली शुल्क जमा विवरण : रू. 200/– बी.सी./डी.डी. नम्बर ....
दिनांक .... बैंक का नाम .... द्वारा जमा।
8. बोली प्रतिभूति राशि जमा विवरण : रू. 5000/– बी.सी./डी.डी. नम्बर ....
दिनांक .... बैंक का नाम .... द्वारा जमा।
9. इस बोली के संबंध में बोली प्रपत्र एवं समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली गई है, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्त प्रपत्र एवं बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।
10. मैं/हम ऐसे करों का संदत करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करूँगा/करेंगे।
11. मैं/हम दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखूँगा/रखेंगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूँगा/रखेंगे और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होंगे।
12. मैं/हम अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न हमारे निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, ना विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं।
13. मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजो में विहित और विनिर्दिष्ट किये गये है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूँगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करें।

14. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री (Annexure-F (क्र.सं. 1–3) के अनुसार) हेतु प्रस्तावित दर Annexure-G में वर्णित कर दी है।

15. फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हैं।

16. जीएसटी पंजीयन (GSTIN) के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हैं।

17. अधिकृत विक्रेता/डीलर के प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट छायाप्रति संलग्न हैं।

18. आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN Card) की प्रति संलग्न हैं।

19. फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड या पावर ऑफ एटोर्नी की प्रति संलग्न हैं।

20. गत 3 वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) में से किसी 2 वर्षों के टर्नओवर का सनदी लेखाकार से जारी किया गया प्रमाण पत्र (जो रू. 20.00 लाख प्रतिवर्ष से कम न हो) की प्रति संलग्न हैं।

21. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure-A से Annexure-F तक हस्ताक्षर कर संलग्न हैं।

22. क्वालिटी एस्योरेंस सर्टिफिकेट/ISO आदि प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो)।

23. जीएसटी रिटर्न की नवीनतम स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न हैं।

24. मैं/हम बोली में दिये गये आपूति/कार्य की संलग्न शर्तें पढ़ने के उपरान्त आदेश प्राप्ति के अनुसार आपूर्ति/कार्य करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

25. मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर में कम्प्यूटर संबंधी उपकरणों की आपूर्ति हेतु बोली की शर्तें :–

A. बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधनीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलियां प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

B. बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का आवश्यक रूप से सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।

C. बोली की शर्तों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्संबंधी नियम 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अथवा बोली प्रपत्र में किसी शर्त या नियम या प्रावधान के अवर्णित पाये जाने की स्थिति में अधिनियम व नियमों में दिये गये प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।

D. वित्तीय मूल्यांकन (Financial evaluation) के लिए सभी तरह से समस्त लागत (Total overall cost) के आधार पर विचार किया जायेगा। जिसमें सभी तरह के अन्य कर आदि शामिल होंगे, परन्तु वस्तु एवं सेवा कर (GST) को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। दरें FOR Destination प्रस्तुत करनी होंगी।

E. राजस्थान सरकार के सा.वि. एवं लेखा नियम एवं बिड के विषय से संबंधित अन्य समस्त नियम एवं एक्ट भी लागू माने जायेंगे।

F. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान् कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

1. बोलियां द्वि–भाग पद्धति–तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के आधार पर आमंत्रित हैं।
2. **बोलीदाता को –**
   (a) एक लिफाफे में तकनीकी बोली जिसमें बोली के तहत मांगे गये डी.डी./बैंकर्स चैक, बोली फार्म हस्ताक्षर युक्त बोली प्रपत्र तथा तकनीकी बोली में मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर इसे सीलबन्द करना होगा एवं उस पर **"राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर में कम्प्यूटर संबंधी उपकरण आपूर्ति करने हेतु तकनीकी बोली, बोलीदाता का नाम, पता एवं दूरभाष/मोबाइल नम्बर"** लिखना होगा, तथा

   (b) दूसरे लिफाफे में वित्तीय बोली जिसमें अपनी प्रस्तावित दरें Annexure-G में भरकर इस लिफाफे को सीलबन्द कर उस पर **"राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर में कम्प्यूटर संबंधी उपकरण आपूर्ति करने हेतु वित्तीय बोली, बोलीदाता का नाम, पता एवं दूरभाष/मोबाइल नम्बर"** लिखना होगा।

   (c) तीसरे लिफाफे में उक्त दोनों लिफाफों को रखकर इस लिफाफे को सीलबन्द कर उस पर **"राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर में कम्प्यूटर उपकरण आपूर्ति करने हेतु बोली, बोलीदाता का नाम, पता एवं दूरभाष/मोबाइल नम्बर"** लिखना होगा।
3. बोलियां निर्धारित बोली प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। निर्धारित बोली प्रपत्र से भिन्न बोली प्रपत्र में प्रस्तुत बोलियों को निरस्त कर दिया जायेगा।
4. एक बोलीदाता एक से अधिक बोलियां/निविदा देता है तो उसकी बोली को निरस्त कर दिया जायेगा।
5. बोली प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर

करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर.) प्रस्तुत की जानी हैं।

7. बोलीदाता द्वारा Annexure-F (क्र.सं. 1–3) के अनुसार सम्पूर्ण सामान की आपूर्ति एक साथ कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में की जानी हैं।

8. बोलीदाता के द्वारा हस्ताक्षर कर बोली प्रस्तुत करने का आशय यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा सम्पादित कार्य के विवरण, प्रकार व शर्तों के संबंध में उसे पूर्ण जानकारी हैं। यदि किसी भी प्रकार का संदेह हो, तो बोली पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अद्योहस्ताक्षरकर्ता से जानकारी की जा सकती हैं।

9. **विधि मान्यताः** बोलियां, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होंगी।

10. **बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी) :–**

A. बोलीदाता को बोली के साथ बोली सूचना के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि रू. 5,000/– संलग्न करनी अनिवार्य होगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में बी.सी./डी.डी. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी।

B. **बोली प्रतिभूति का प्रतिदायः–** असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

C. **बोली प्रतिभूति से छूटः–** बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का **01 प्रतिशत** होगी। **राजस्थान के लघु उद्योगों** की दशा में, उन फर्मो को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान में पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गये बोली के अनुमानित मूल्य के **0.25 प्रतिशत** की दर पर बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का **0.50 प्रतिशत** होगी।

D. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं। बोली प्रतिभूति के स्थान पर, **बोली प्रतिभूति घोषणा** राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों को प्रस्तुत करनी होगी।

E. **बोली प्रतिभूति का समपहरणः–** बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगाः–

(i) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहरित या उपान्तरित करता है;

(ii) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

(iii) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदान या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है;

(iv) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है;

(v) यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्संबंधी नियम, 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है;

F. सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम, कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकेगी या लौटा दी जायेगी, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता हैं।

11. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–**

A. सफल बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिये जाने के 7 दिन की अवधि के भीतर, जिन माल या सेवाओं के लिए बोली स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के **2.5 प्रतिशत** कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

B. राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व का नियंत्रण या प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे। तथापि, इनको एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

C. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाप की रकम की **0.5 प्रतिशत** और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की रकम का **01 प्रतिशत** होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने के लिए इन फर्मों को पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करने होगी।

D. बोली के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।

E. प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

F. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगीः–

(i) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक;

(ii) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्पबचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

(iii) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि कराई जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि

निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधान के लिए पात्र नहीं रह गया है।

(iv) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (FDR)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम रहन होगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

G. संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि संवेदक के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं हैं, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि में से संवेदक की कोई बकाया राशि या पैनल्टी बकाया होगी तो प्रतिदाय के समय काट ली जायेगी।

H. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः** कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगाः—

(i) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ii) जब बोलीदाता सम्पूर्ण माल/सेवा संतोषजनक ढंग से प्रदान करने में असफल रहा हो।

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता प्राधिकार/अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

12. **करार (Agreement) का निष्पादन :—**

A. सफल बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिये जाने के 10 दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प (नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प) पर करार निष्पादित करना होगा।

B. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प शुल्क का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त (छायाप्रति) बोलीदाता को निःशुल्क दी जायेगी।

C. यदि बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि (7 दिवस के भीतर) में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर सफल बोलीदाता के विरूद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्संबंधी नियम 2013 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगा या न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधित लाभप्रद दर की बोली वाले को स्वीकृति प्रस्ताव दे सकेगा।

13. **भुगतान (Payment):—** सफल निविदादाता/संस्था द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य निष्पादित कर आपूर्तित सामग्री का बिल 3 प्रतियों में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा आपूर्तित माल की

सन्तोषजनक रिपोर्ट के आधार पर RTGS / NEFT के माध्यम से भुगतान जारी किया जायेगा।

14. परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages):– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जायेगी, जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं:–

1	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	2.5 %
	(ख)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिये	5 %
	(ग)	विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिये	7.5 %
	(घ)	विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	10 %
2	विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।		
3	परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।		
4	यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है, वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिये आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।		
5	यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकती है।		

15. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा।

16. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity) एवं हित का विरोध (Conflict of interest) के संबंध में Annexure-A के प्रावधान लागू होंगे।

17. **बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:–** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उपधारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।

18. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामले को सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को भेजा जायेगा एवं उस विवाद के लिए सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या प्रदायक द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

19. (1) उपापन प्रक्रिया के दौरान् किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में

पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।

(2) प्रथम अपील अधिकारी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर हैं।

20. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्संबंधी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया हैं एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपयुक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील

नाम : ....
फर्म/संस्था का नाम : ....

Annexure-A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

(a) have controlling partners/ shareholders in common; or

(b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

(f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure-B

Declaration by The Bidder regarding Qualification

In relation to my/ our Bid submitted to .... for procurement of .... response to their Notice Inviting Bid No. .... Dated............................ I/ We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/ We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/ We have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;

3. I/ We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/ our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/ our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/ We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/ our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/ our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/ We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) **Filing an appeal**

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for Filing Appeal**

(a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No. – 1

Memorandum of Appeal
(See sub-rule 1 of rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....
Before.. (Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   a. Name and father's name of the appellant : ....
   b. Official address : ....
   ....
   ....
   c. Residential address : ....
   ....
   ....

2. Name and address of the respondent(s)
   a. ....
   b. ....
   c. ....

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved ....

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative
   ....
   ....

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer
   ....
   ....

Place ....
Date ....

Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetic errors :-**

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

(a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to vary Quantities :-**

(a) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(c) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award :-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the bidders, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

Annexure-E

बोलीदाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों/सेवाओं के लिए बोली दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट/पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था/इकाई हूँ/हैं तथा माल/सेवा आपूर्ति में विगत 5 वर्षों मे माल/सेवा आपूर्ति के संतोषप्रद कार्य नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में माल/सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं हैं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये अथवा मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना, तथ्य, प्रमाण–पत्र या विवरण आदि अनुबन्ध अवधि के दौरान् झूठी या अपूर्ण पाई जाये, तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्वत कर लिया जायेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Specifications of Printer, Scanner, and Hot swap HDD for use in State election commission, Rajasthan, Jaipur.

1.	**Scanner – (02 Nos.)**	
	Scanner Type	Integrated Sheet feed & Flat Bed
	Scanning Technology	CIS
	Document Size	A4 & Legal
	Optical Resolution (DPI)	1200
	Output format	JPG, PDF, PHG
	Maximum Resolution (DPI)	1200
	Mono crome Scan Speed	25 ppm at 300 dpi
	Auto duplex	Standard
	Colour Scan Speed	25 ppm at 300 dpi
	Colour Depth (Bits)	24
	Paper Wieght Handling capacity (GSM)	120
	Paper Path	Straight & U both
	Multi Feed Detection	NA
	ADF	Available
	ADF Tray capacity	50
	USB Interface	Yes
	OS Compatibility	Yes
	Daily Duty Cycle	1500
	Scan File Format	Yes
	Bundled Software	Yes
	BIS	Yes
	OEM onsite warranty	1 Year
2.	**Duplex Printer –(02 Nos.)**	
	Print Type	Monochrome Laser / Ink Tank with Duplex Printing
	Printer Type	Print / Copy / Scan
	Scanner Type	Flatbed & ADF
	Print Resolution	600 x 600 dpi
	Print Speed	22 PPM or More
	Paper Size	Legal, Indian-Legal (215 x 345 mm), 8.5 x 13", Letter, A4, B5, A5, B6,
	Connectivity	USB ,Eathernet, Wi-Fi etc.
	Compatible operating systems	Windows 7, 8, 10 (32 bit/64 bit)
	Software media	Driver & utility software CD/DVD
	BIS Registration	Yes
	Warranty	1 year comprehensive on site OEM warranty from date of installation
3.	**Hot swap HDD 15 KBPS–(12 Nos.) for CISCO Server**	
	RAM Size	SAS HOT SWAP HDD 15 K RPM or higher
	Memory Storage Capacity	300 GB or higher
	Flash Memory Installed Size	300 GB or higher
	Installation	With Installation

Annexure-G

वित्तीय बोली प्रपत्र

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर में कम्प्यूटर संबंधी उपकरण आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दर

S. No.	Item Description	Quantity	BASIC RATE In Figures (Including all taxes etc. but Excluding GST)	TOTAL AMOUNT (Including all taxes etc. but Excluding GST (5)=(3)X(4)	GST Rate in %
1	2	3	4	5	6
1	Integrated sheet feed & Flate bed (Scanner) (Specification as per Annexure-F)				
2	Monocrome Laser jet with Duplex Printing (Printer) (Specification as per Annexure-F)				
3	SAS Hot Swap HDD. 15 KBPS or Higher for CISCO Server (Specification as per Annexure-F)				
Total in Figures					
Total Quoted Amount in Words :-					

कॉलम 4 में प्रति यूनिट दर (Without GST) अंकित की जानी हैं।
कॉलम 5 में कुल राशि (कॉलम 3x4) Without GST अंकित की जावें।

Date :
Place :

Signature with seal of Bidder
Address :

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर